भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *386
27 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

तेलंगाना में नलगोंडा के लिए एक जिला एक उत्पाद

***386. श्री कुंदुरु रघुवीर:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में चिह्नित 'मीठे संतरों' में कड़वाहट पैदा करने वाले लिमोनिन और नारिंगिन जैसे तत्वों के कारण व्यावसायिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की मीठे संतरे के रस को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए लिमोनिन तत्व को कम करने की तकनीक विकसित करने के लिए मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) तथा तंजावुर स्थित भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएफपीटी) के साथ सहयोग करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो बाजार की मांग को बढ़ाने के लिए किसानों के लिए ऐसी तकनीक विकसित करने और उसे सुलभ बनाने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार नलगोंडा के ओडीओपी को संशोधित करने और मीठे संतरे के स्थान पर कपास या धान जैसी फसलों, जो इस क्षेत्र की जलवायु और बाजार की स्थितियों के लिए बेहतर ढंग से अनुकूल हैं, को प्रतिस्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ओडीओपी के चयन के क्या मानदंड हैं और क्या किसानों की प्रतिक्रिया के आधार पर उन्हें संशोधित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि किसान ओडीओपी संबंधी पहलों से लाभान्वित हों या कोई संशोधन किए जाने की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक फसलों के लिए सहायता एवं समर्थन मिले?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु "तेलंगाना में नलगोंडा के लिए ओडीओपी" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *386 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

तेलंगाना सरकार की सिफारिशों के आधार पर मीठे संतरे को तेलंगाना के नलगोंडा जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में पहचाना गया है। मीठे संतरे को राज्य सरकार द्वारा खेती के लिए इसकी उपयुक्तता, उच्च उत्पादकता और क्षेत्र में फसल की प्रधानता के कारण नलगोंडा जिले के लिए ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) के रूप में चुना गया था।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लाभ के लिए, जिसमें उत्पाद और प्रक्रिया विकास, कुशल प्रौद्योगिकी, बेहतर पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन आदि के साथ-साथ विभिन्न कारकों के मानकीकरण के साथ वाणिज्यिक मूल्य भी शामिल है, मांग आधारित अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ।

तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को मीठे संतरे के रस को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कड़वाहट पैदा करने वाले यौगिकों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकीय के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए न तो तेलंगाना राज्य सरकार से और न ही केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई), मैसूर और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (जिसे अब निफ्टेम नाम दिया गया है), तंजावुर सहित किसी भी अनुसंधान संस्थान से अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नलगोंडा के लिए ओडीओपी में बदलाव करने के लिए राज्य सरकार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। हालांकि, तेलंगाना राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केंद्रीय और राज्य पीएसयू/संयुक्त उद्यम/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) /एनजीओ/सहकारिता/एसएचजी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां/व्यक्तिगत स्वामित्व वाली फर्में आदि जैसे संगठन, जिनमें व्यक्तिगत किसान भी शामिल हैं, पीएमएफएमई योजना के तहत वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, यह कि वे योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन है । ओडीओपी और गैर-ओडीओपी दोनों के लिए पीएमएफएमई योजना के तहत उपलब्ध सहायता का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है ।

*****

अनुबंध

दिनांक 27.03.2025 को उत्तर हेतु "तेलंगाना में नलगोंडा के लिए ओडीओपी" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *386 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

देश में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ओडीओपी उत्पादों सहित सभी उत्पादों के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है:

(i) *व्यक्तिगत/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:* पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) *प्रारंभिक पूंजी के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:* कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारंभिक पूंजी दी जाएगी, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन *होगी*।

(iii) सामान्य *अवसंरचना के लिए सहायता:* एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से ऋण से जुड़ी पूंजी सब्सिडी, जो अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी।

(iv) ब्रांडिंग *और विपणन सहायता:* एफपीओ/एसएचजी/सहकारिता समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) *क्षमता निर्माण:* इस योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने और उत्पाद विशिष्ट कौशल के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) हेतु प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

*****